

August 22, 2025

National Stock Exchange of India Ltd.,	BSE Ltd.,
Exchange Plaza, C-1 Block G, Bandra Kurla Complex	Phiroze Jeejeebhoy
Bandra [E], Mumbai – 400051	Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001
NSE Scrip Symbol: BLS	BSE Scrip Code: 540073

Subject: Newspaper Advertisement for completion of dispatch of Notice of 41st Annual General Meeting of the Company

Dear Sir/ Ma'am

We wish to inform you that pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made and Circulars issued thereunder, the Company has published advertisement in Newspapers viz. The Financial Express (in English language with all edition) and in Jansatta (in Hindi language with Delhi Edition) confirming inter alia:

- Completion of dispatch of Notice of 41st Annual General Meeting (AGM) through e-mail on August 21, 2025, to all the members whose e-mail IDs are registered with RTA and Depositories i.e. NSDL and CDSL as on cut off date Friday, August 08, 2025. Further, for those shareholders whose email IDs are not registered, a letter providing a weblink and QR Code for accessing the Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2024-25 has been sent to those shareholders via post on August 21, 2025.
- 2. Relevant date for voting through electronic means and e-voting information.
- 3. Contact details of the person responsible to address the grievances connected with the electronic voting etc.

In compliance with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of above stated Newspaper Advertisement published in aforesaid newspapers today i.e. August 22, 2025.

The said advertisement in newspapers has also been uploaded on the website of the Company at https://www.blsinternational.com/corporate-announcements.

Kindly take the same on record.

For BLS International Services Limited

Dharak A. Mehta Company Secretary and Compliance Officer ICSI Membership No.: FCS12878

Encl: as above

......

FINANCIAL EXPRESS

Insolvency delays to reduce with IBC changes: IBBI chief

Scheme to boost bidders' confidence

MANU KAUSHIK New Delhi, August 21

DELAYS IN THE admission process continue to be a challenge in the insolvency cases in India, said Ravi Mital, chairperson of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) on Thursday. He stated that a new framework being planned is aimed at making resolution faster and more efficient without compromising the rights of stakeholders.

"The proposed amendments (to Insolvency and BankruptcyCode) are designed in a way that we expect that the resolution process will be completed faster. The time taken in the admission of a resolution plan has been further reduced. Under the new amendments, a time has been prescribed now for the adjudicating authority to approve the resolution plan," Mital said.

He further said that once a

RAVI MITAL, IBBI CHAIRMAN **Under proposed** changes, the time taken in admission of a resolution plan has been further reduced

plan is filed, in a large majority they will bid higher, Mital said. of cases there is usually no dis-Last week, the finance minpute on the bid. So, the amendister Nirmala Sitharaman ments proposed that the comintroduced the Insolvency and mittee of creditors (CoC) can Bankruptcy Code (Amendrequest the adjudicating ment) Bill, 2025 in the Lok Sabha, by including provisions authority to approve the bid amount and hand over that related to group insolvency, company to the resolution cross-border cases, and a credapplicant. "This has been done itor-led process to expedite in one or two cases earlier. Now, resolution of bankrupt compaafter the amendments, this nies. The bill was later referred (mechanism) will be tried to the select committee. again, and we believe that this will reduce the timeline for approval," he said. Also, it will

The Bill seeks to mandate that insolvency applications are admitted within 14 days. Currently, an average of 434 days is being taken for admission of cases, leading to considerable value loss for the corporate debtors. Experts said that one of the

major incidences of delay in the corporate insolvency resolution process has been at the admission stage which has negatively impacted outcomes. "Limiting the adjudicating power of NCLT to admit or reject the application inter alia basis default will provide the necessary impetus for timely outcomes at the first stage itself. Segmenting approval of resolution plan into two parts of implementation and distribution is again a welcome move, as it prioritises speedy resolution of distressed entities over inter-creditor disputes," said Siddharth Srivastava, Partner, Restructuring & Insolvency, Khaitan & Co.

Mital also said that the government is hopeful that the creditor-led scheme will compress the timeline which will give resolution applicants more confidence to bid for a stressed asset.

The creditor-led resolution process is an out-of-court system which is initiated by the financial creditors.

Enough coal

thermal power

POWER GENERATION COM-

PANIES have adequate coal

stocks and there is no shortage

of the fuel at present, Coal and

Mines Minister G Kishan

of the 13th round of commer-

cial coal mines auction, Reddy

said that coal production

needs to be increased to meet

the growing power demand in

of coal and power generation

companies have adequate coal,

need for the regular auction of

coal blocks as well as early

operationalisation of the mines. India, he said, has huge

coal reserves and stands in sec-

ond position in the world in

terms of coal production and

Today, there is no shortage

He also stressed upon the

the future.

he noted.

consumption.

Speaking during the launch

Reddy said on Thursday.

plants: Govt

stock at

FE BUREAU New Delhi, August 21

INDIA'S TRADE DEFENCE arm the Directorate General of Trade Remedies (DGTR) has recommended imposition of

anti-dumping duty for five years on imports of acrylic fibre and liquid epoxy resins after a probe that established injury to the domestic manufacturers. On acrylic fibre imports

from China, Thailand and Peru, a duty of \$920 to \$34 permetric tonne has been recommended, depending on which country the exports have originated from and the manufac-

On epoxy resin from China, Korea, Saudi Arabia, Taiwan, and Thailand, duty ranging from \$ 34 to \$ 286 per metric tonne has been recommended.

During the probe, the DGTR found that there is a significant dumping of these products from the identified countries.

The dumping depressed the prices of these products in the local market, which forced the domestic industry to compromise on its profitability. The domestic industry faced significant losses, cash losses, and it earned a negative return

KNITTING DUTY

Anti-dumping duty: Govt

mulls levy on acrylic fibre

■ Move comes after probe established injury to domestic manufacturers

On acrylic fibre imports from China, Thailand, Peru, duty of \$ 920 to \$ 34 per MT recommended

On epoxy resin from China, Korea, Saudi Arabia, Taiwan, Thailand, duty ranging from \$ 34 to \$ 286 per MT

recommended

on its investments. They also suffered a decline in their market share.

'Levy required to offset injury'

The DGTR concluded that imposition of anti-dumping duty is required to offset dumping and injury.

It was also of the view that the imposition of anti-dumping duty will not have any adverse effect on the downstream industry.

The anti-dumping duties will now have to be notified by the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) in the Department of Revenue. Acrylic fibre is used exten-

■ Acrylic fibre is used

extensively by the

clothing industry to

make winter clothing

sively by the clothing industry to make winter clothing. In 2024-25, total imports stood at \$54.2 million.

Liquid epoxy resins have a wide range of uses due to their strong adhesive properties, chemical resistance, and durability. They are commonly used in construction, manufacturing, and various consumer applications including coatings, adhesives, composites, electrical and electronic components. Imports of the resin stood at \$ 2.72 billion with China accounting for \$ 769 million.

Cotton duty cuts a boon for industry

RAVI DUTTA MISHRA New Delhi, August 21

THE GOVERNMENT HAD on Monday agreed to a longstanding demand of the textile industry to eliminate the 11% duty on cotton imports, in a bid to soften the impact of high US tariffs on the labour-intensive sector, which is expected to

take the hardest hit from the

50 per cent US levy. However, the calibrated relief measure to eliminate the duty until September 30 could also help ease trade tensions with the US, as Washington is the second-largest cotton exporter to India and has been pushing for broader access to the Indian market during negotiations for a trade deal.

On August 7 the industry had suggested a duty cut on US cotton as one of the measures to sweeten the trade deal.

Notably, Bangladesh had offered a similar concession to the US to enter into an agreement. While the elimination of duty is largely aimed at addressing the challenges faced by the industry — ranging from steep US tariffs to high cotton prices — it also acts as a signal to US negotiators that India could be willing to negotiate imports of cotton from Washington, an industry executive said. New Delhibased think tank Global Trade Research Initiative (GTRI) said that almost all of India's \$1.20 billion cotton imports in FY2025 were of staple length 28 mm or above and that under the India-Australia Economic Cooperation and Trade

Agreement, 51,000 MT of such

cotton already enters duty-

free. This means the biggest

winner from India's new duty-

free window will be the US,

provide a certainty to the reso-

lution applicant that they will

get the company in a short

period of time, and perhaps



GTRI said.

Duty cut won't impact fresh orders

Industry executives said the duty cut, a step that had been resisted for years, was announced during the offpeak season so that it does not impact Indian farmers, as plucking of cotton starts from October and is offloaded in the market by March.

The period between October and March is known as the peak season. While welcoming the relief, exporters said that the import of raw cotton would only affect in-transit shipments, since the period of relief is too short to influence fresh orders. Seeking an extension, exporters argued that the measure could help India to retain other markets such as the UK and EU, but not the US.

An analysis by the Confederation of Indian Textile Industry (CITI) said US textile and apparel imports have begun surging from countries such as Vietnam and Bangladesh.

"In June 2025, the US' textile and apparel (T&A) imports from Vietnam and Bangladesh surged significantly by 26.2% and 44.6%, respectively, over June 2024, reflecting strong momentum in sourcing from these countries," CITI said.

operating profit this fiscal: Crisil report **SWARAJ BAGGONKAR** Mumbai, August 21 OPERATING PROFIT OF India's top three airlines, who

control more than 90% of the domestic traffic, is expected to moderate in FY26 compared to previous year due to softer demand and unforeseen business disruptions. The domestic airline indus-

try will see operating profit moderate 11-14% ₹20,000-21,000 crore this fiscal from about ₹ 23,500 crore posted in the last fiscal, said a report by Crisil. Operating profit is defined as earnings before interest, tax, depreciation, amortisation and lease rentals.

IndiGo, Air India group (Air

Notice is hereby given that



India's airline industry to see 11-14 %

India and Air India Express) and SpiceJet control 94% of India's domestic aviation share, as perdata shared by the Directorate General of Civil Aviation (DGCA).

While IndiGo had recorded a profit of ₹ 7,258 crore, Air India group saw its losses balloon to ₹10,859 crore in FY25. Akasa Air's losses jumped to ₹ 1,983 crore during the same year while SpiceJet closed the year with a profit of ₹ 62 crore.

Demand in the first quarter (April to June) FY26 was muted because of closure of operations at several airports for a week and ensuing airspace restrictions resulting in rerouting of international flights and elongated flying

April and May are considered to be top months for leisure traffic due to the summer holidays. Demand sentiments took a hit again in June when an air crash left 270

safety checks and reduction in capacities deployed thereby impacting revenues. "These headwinds led to

This also led to added flight

softer demand and lower capacity deployment, resulting in passenger traffic growth slowing to 5.2% on-year in the first quarter, compared with 7.1% in the corresponding quarter last fiscal," said the

EPACK Durable Limited CIN: L74999UP2019PLC116048

Regd. Office: 61-B, Udyog Vihar, Surajpur, Kasna Road, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar U.P., 201306 Ph. No.: 0120-4522467, Website: www.epackdurable.com Email ID: info_ed@epack.in

PRE-DISPATCH – NOTICE OF 06TH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY

NOTICE is hereby given that the Sixth Annual General Meeting ("06th AGM") of EPACK Durable Limited ("the Company") will be held on Tuesday, September 16, 2025 at 11:00 A.M. Indian Standard Time (IST), through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of the 06th AGM. In compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("The Act") and the rules made thereunder, read with Ministry of Corporate Affairs ("MCA") General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020 and 17/2020 dated April 13, 2020, followed by General Circular Nos. 20/2020 dated May 5, 2020, Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 and other applicable circulars issued by the MCA (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("SEBI LODR Regulations") the 06th AGM of the Company will be held through VC/OAVM Facility, without the physical presence of the Members of the Company at a common venue.

In accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 3rd October, 2024 and the provisions of SEBI LODR Regulations, the Annual Report for the Financial Year 2024-25 ("Annual Report") along with the Notice of 06th AGM will be sent only through electronic mode to those Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s).

Remote e-voting facility ("remote e-voting") shall be provided to the members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the 06th AGM. Additionally, the Company is providing the facility of e-voting system during the 06th AGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting /e-voting will be provided in the Notice of the 06th AGM. Members who have not registered their email addresses ("Non-Registered Members") are requested to refer the Notice of the 06th AGM for the process to be followed for obtaining the User ID and password for casting the vote through remote e-voting and attending the 06th AGM. A letter containing web-link of the Notice of 06th AGM and Annual report shall be sent to non-registered members. Non-Registered Members are requested to register/update their email addresses with the Company/ Depository Participant (DP).

The Annual Report along with the Notice of 06th AGM will also be made available at the website of the Company at www.epackdurable.com, websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and also on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at https://evoting.nsdl.com/. Members can attend and participate in the 06th AGM through VC/OAVM facility only and their attendance shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

> By order of the Board of Directors For EPACK Durable Limited

Jyoti Verma Company Secretary and Compliance Officer **Place:** Noida **Date:** August 21, 2025 FCS: F7210

Aarti Drugs Limited

CIN: L37060MH1984PLC055433 Regd. Off: Plot No. N-198, M.I.D.C. Tarapur, Village Pamtembhi, Tal. and Dist. Palghar - 401 506, Maharashtra Corp Office: Ground Floor, Mahendra Industrial Estate, Plot No. 109-D, Road No. 29, Sion (East), Mumbai 400 022 Phone: 022- 2401 9025 | Fax: 022-2407 3462 Website: www.aartidrugs.co.in | Email: investorrelations@aartidrugs.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS Sub: 100 Days' Campaign- "Saksham Niveshak" for updating KYC and other details

Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA) in line with the objectives of the Niveshak Shivir, and its broader drive for investor education and facilitation, has launched a 100 Days' Campaign - "Saksham Niveshak" from July 28, 2025 to November 6, 2025, targeting shareholders whose dividends have remained unpaid/unclaimed. As per the directive of IEPFA, Aarti Drugs Limited ('Company') has initiated the 100 Days' Campaign, "Saksham Niveshak", for the shareholders, whose dividend are unpaid/unclaimed and this notice is being issued by the Company as part of the aforesaid campaign.

All the shareholders who have unpaid/unclaimed dividend or those who are required to update their Know Your Client (KYC) and nomination details or have any issues/ gueries related to unpaid/unclaimed dividend and shares, are requested to write to the Company's Registrar and Share Transfer Agent ('RTA') at MUFG Intime India Private Limited (Formerly known as Link Intime India Private Limited), Unit: Aarti Drugs Limited, C-101 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai- 400083, Tel: 022-49186000, Email: rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com. The shareholders may further note that this campaign has been initiated specifically to reach out to the shareholders to update their KYC and nomination details. The shareholders are requested to update their details and claim their unpaid/unclaimed dividend in order to prevent their shares from being transferred to the IEPFA. This notice is also available on the Company's website at www.aartidrugs.co.in and the websites of the Stock Exchanges where the equity shares of the Company are listed i.e. National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and BSE Limited at www.bseindia.com.

By Order of the Board of Directors For Aarti Drugs Limited

Rushikesh Deole PLACE: MUMBAI **Company Secretary DATE: August 21, 2025** Icsi. M. No.F12932



METAL COATINGS (INDIA) LIMITED

CIN: L74899DL1994PLC063387 Registered office: 912, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi-110019 Phone: +91-11-41808125, Website: www.mcil.net, Email: info@mcilindia.net NOTICE TO SHAREHOLDERS

Shareholders are hereby informed that pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD PoD/P/CIR/2025/97, SEBI has allowed opening of a special window to facilitate re-lodgement of transfer requests of physical shares lodged prior to the deadline of April 1, 2019 and rejected/returned due to

Key Details for Special Window for Re-lodgement Period for re-lodgement July 7, 2025 to January 6, 2025

Who can apply?	 Investors whose transfer deeds were lodged prior to the deadline of April 1, 2019 which were rejected/returned/not attended due to deficiency in the documents/processes/or otherwise. Includes the requests that are pending with the listed company/RTA as on date of the SEBI Circular – 2 July 2025. 					
How to re-lodge the transfer request?	Submit original transfer documents, along with corrected or missing details to the Registrar and Share Transfer Agent, MUFG Intime India Private Limited (Formerly known as Link Intime India Private Limited)					
	PostalAddress	Unit: C 101, Embassy 247, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083				
	Helpline No.	1149411000				
	For any queries	Raise a service request at				

Note: Securities re-lodged for transfer and approved shall be issued only in demat mode. Further, Pursuant to the Circular dated 16th July, 2025 issued by the IEPF Authority, the Company has launched a 100-Day Campaign/Drive – "Saksham Niveshak" from 28th July, 2025 to 6th November,

cs@mcilindia.net,

During this period, shareholders having any unclaimed/unpaid dividend and/or shares transferred to IEPFA or related queries may contact the Company's Registrar & Transfer Agent (RTA), MUFG Intime India Private Limited at Mail: delhi@in.mpms.mufg.com / Tel: 011-49411000.

All shareholders holding shares in physical form are requested to download the KYC updation forms from the Company's website at https://www.mcil.net/investors2.aspx?catid=18%20&subcatid=85 and submit the duly filled and signed forms along with supporting KYC documents to the RTA. For details, shareholders may visit the Company's website: www.mcil.net.

Place: New Delhi Dated: 21st August, 2025

Vidushi Srivastava Company Secretary & Compliance Officer

For Metal Coatings (India) Limited

https://web.in.mpms.mufg.com/helpdesk/Service_Request.html

or send an E-mail at rasharma@mcilindia.net,

rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com.

BLS International Services Limited CIN: L51909DL1983PLC016907

Regd. Office: G-4, B-1, Extension, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044, Tel. No.: 011-45795002, Email: compliance@blsinternational.net, Website: www.blsinternational.com NOTICE OF 4157 ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING

The 41" Annual General Meeting ("the AGM") of the members of BLS International Services Limited ("the Company") will be held on Tuesday, September 16, 2025 at 03:00 P.M. (IST) through Video Conferencing /Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") facility to transact the businesses as stated in the Notice of 41" AGM pursuant to the Companies Act, 2013 and various circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India, from time to time. All the Members are hereby informed that:

The Annual Report along with Notice of the AGM for financial year ended March 31, 2025 and remote e-voting and e-voting at the AGM, details have been sent in electronic mode on Thursday, August 21, 2025 to all the members whose e-mail are registered with RTA and Depositories as on Friday, August 08, 2025. For those shareholders whose email IDs are not registered, a letter providing a weblink and QR Code for accessing the Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2024-25 has been sent to those shareholders via post on Thursday. August 21, 2025.

The Annual Report along with Notice of AGM is also available on the website of the Company www.blsinternational.com, website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited, National Stock Exchange of India Ltd. at www.bseindia.com and www.nseindia.com/respectively and on the website of Central Depository Services (India) Limited at www.evotingindia.com

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, we hereby inform you that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, September 10, 2025 to Tuesday, September 16, 2025 (both days inclusive) for taking on record the members of the Company for the purpose of AGM of the Company.

3. Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder, the Company is pleased to provide Remote e-voting and e-voting facility in the AGM to the members holding shares either in physical form or dematerialized form to cast their vote on the business as set forth in the Notice of

 The Cut-off date for the purpose of e-voting through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) is Tuesday, September 09, 2025. The remote e-voting period commences on Friday, September 12, 2025 from 09:00 a.m. and ends on Monday, September 15, 2025 at 05:00 p.m. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on the resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to

In case of any person becoming the member of the Company after the dispatch of Notice of the AGM but on or before the cut-off date i.e. Tuesday, September 09, 2025, may write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com for obtaining login ID and password. Further, if the Member is already registered with CDSL remote evoting platform, then he/ she can use existing User ID and Password for casting the vote through remote e-voting.

The manner of e-voting remotely for members holding shares in dematerialized form, physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM.


The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM through VC/ OAVM, but shall not be entitled to cast their vote

Members are requested to read the instructions pertaining to manner of casting vote through remote e-voting, e-voting during the AGM and attending AGM through VC/OVAM as printed in the Notice of the AGM, carefully. 9. In case you have any queries or issues regarding the E-voting, you may refer the

Frequently Asked Questions ("FAQs") and the e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or all grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on toll free no-1800 21 09911.

> For BLS International Services Limited **Dharak Mehta** Company Secretary & Compliance Officer

> > ICSI Membership No.: FCS12878



ESTER INDUSTRIES LIMITED CIN - L24111UR1985PLC015063

Regd. Off: Sohan Nagar, P.O. Charubeta, Khatima - 262308 Distt. Udham Singh Nagar, Uttarakhand Website: www.esterindustries.com; Email- investor@ester.in

Phone No.: (05943) 250153-57; Fax No.: (05943) 250158 NOTICE TO MEMBERS FOR 39TH ANNUAL GENERAL MEETING Notice is hereby given that the 39th Annual General Meeting ("AGM") of Ester Industries Limited ("the Company") is scheduled to be held on Friday, 26th September 2025 at

2:00 Noon IST through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the businesses as mentioned in the Notice of the AGM The Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India ("SEBI" vide its circulars dated 19th September 2024 and 3rd October 2024 respectively ("Circulars" have extended the facility of holding the AGM through VC/OAVM without the physica

presence of the Members. The Members attending the AGM through VC/OAVM shall be eckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. n compliance with the relevant circulars, the Notice of AGM along with Annua Report for the financial year (FY) 2024-25 will be sent through electronic mode only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or with their respective Depository Participants (DPs) and with the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) (viz. Mas Services Limited). The aforesaid documents will also be available on Company's website at www.esterindustries.com, website

of Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited

at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively

Pursuant to section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meetings, the Company is providing the facility to all its Members to cast their votes on all the resolutions set forth in the Notice of AGM through Remote evoting (prior to AGM) and e-voting during the AGM. Detailed instructions for attending the AGM and casting votes through Remote e-voting and e-voting during the AGM will be provided in the Notice of AGM.

The login details for casting the votes through e-voting would be provided to the Members (holding shares in physical form or dematerialised form) at their e-mail addresses registered for this purpose.

To ensure timely receipt of AGM Notice and Annual Report for FY 2024-25, the members are requested to register/update their E-mail addresses or contact number in the

Manner of registering/updating e-mail addresses

Members holding shares in physical mode and who have not registered/updated their e-mail addresses with the Company, are requested to register/update their email addresses at the earliest by submitting duly filled and signed form ISR-1 (available on the Company's website at https://www.esterindustries.com/sites/ default/files/isr-1.pdf) along with self-attested copy of the PAN Card, and selfattested copy of any document (e.g. Driving License, Voter Identity Card, Passport) in support of the address of the Member, to the Company/RTA at investor@ester.in or investor@masserv.com.

Members holding shares in dematerialised mode and who have not registered/ updated their e-mail addresses are requested to register/update the same with their respective Depository Participant(s). The Final Dividend of Rs. 0.60 per Equity Share of Rs. 5/- each, recommended by the

Board of Directors of the Company for the financial year ended 31st March, 2025, if declared at the 39th AGM, will be remitted, after deduction of tax at source, through electronic mode to those Members whose names appear in the Register of Members as on cut-off date i.e. Friday, 19th September 2025 and who have furnished their required bank details to the Company's RTA / the respective Depository Participants ('DPs'). Members who have not yet provided these details and wish to avail the facility for remittance of dividend through electronic mode are required to provide the same to the respective DPs, if the shares are held in the dematerialised form, or to Company's RTA in respect of shares held in the certificate form, on or before Tuesday, 9th September 2025, so that the KYC details can be updated in the folios before the said cut-off date. Members holding shares in the certificate form may use the prescribed Form No. ISR-1 for this purpose, which is available on the Company's RTA website at https://www.masserv.com/downloads.asp.

In case of any queries regarding participation in AGM and e-voting, Members may refer the 'Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders' and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on Toll free no.: 022-4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at evoting@nsdl.com.

For Ester Industries Limited

Poornima Gupta Company Secretary & Compliance Officer

New Delhi

Place: Gurugram

Date: 21st August 2025

Place : New Delhi epaper.financialexpress.com

Date: 21.08.2025

PUBLIC NOTICE **DECLARATION OF** PROCLAMATION OF OFFENDERS

Whereas the Hon'ble Delhi State Consumer Disputes Redressal Commission (DSCDRC) has issued an order dated 07-08-2025 in Execution Petition No. EA-35/2022 titled as "Mr Mukesh Kumar Garg vs M/s Parsvnath Developers Ltd." declaring the following Directors of the Judgment Debtor Company namely Parsynath Developers Ltd. as

Proclaimed Offenders: 1. Mr. Pradeep Kumar Jain S/o Mr. Sheeta Prasad Jain R/o 7. Central Lane, Bangali Market, NDMC, New Delhi-110001, DIN: 00333486.

2. Mr. Rajeev Jain S/o Mr. Sheetal Jain R/o H.No. D-129, 1st Floor, Near Durga Mandir, Preet Vihar, Shakarpur, Delhi-110092, DIN: 00433463. 3. Mr. Subhash Chander Setia S/o Mr. Sura Prakash R/o KG-1/350, Vikas Puri, Tilak Nagar, West Delhi-110018, DIN: 01883343.

4. Mr. Ashok Kumar S/o Mr. Jai Prakash R/o Disco Compound, GT Road Ghaziabad, Uttar Pradesh-201001, DIN: 00138677. 5. Mr. Sanieev Kumar Jain S/o Mr. Sheeta Prasad Jain R/o J-12/2, DLF City, Phase-11,

Gurgaon-122002, DIN: 00333881. The aforementioned individuals are hereby directed to appear before the Hon'ble Commission (DSCDRC) within a period of 30 days from the date of publication of this Notice. Issued under Order of the Delhi State Consumer Disputes Redressal Commission (DSCDRC). Date: 19-08-2025.



प्रपत्र संख्या आईएनसी .2 अध्याय XXI के भाग । के अंतर्गत पंजीकरण की सूचना देने वाला विज्ञापन

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(ख) और कंपनी (पंजीकरण हेतु प्राधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4(1)

1. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, रजिस्ट्रार, आरओसी, कानपुर को एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि जीरो फुटप्रिंट इंडस्ट्रीज एलएलपी, एक एलएलपी को कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय गए के भाग I के अंतर्गत शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाए।

. कंपनी के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं: औद्योगिक एवं अन्य प्रकार की गैसों के विनिर्माण

एवं व्यापार का व्यवसाय करना। 3. प्रस्तावित कंपनी के प्रारूप ज्ञापन और संस्था के अनुच्छेदों की एक प्रति 175, आवास विकास कॉलोनी, सिविल लाइंस, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश- 244001 स्थित कार्यालय में देखी जा सकती है।

🕽 एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस आवेदन पर आपत्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रार, 37/17, वेस्टकॉट बिल्डिंग, द मॉल, कानपुर- 208001, उत्तर प्रदेश को लिखित रूप में अपनी आपत्ति प्रेषित कर सकता है, जिसकी एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को भी भेजी जाएगी ।

दिनांक 22 अगस्त 2025 आवेदक (ओं) का नाम

जीरो फुटप्रिंट इंडस्ट्रीज एलएलपी

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-I, DELHI 4TH FLOOR, JEEVAN TARA BUILDING,

PARLIAMENT STREET, NEW DELHI-110001 OA.357/2024 **CANARA BANK VS PUSHPA**

1) PUSHPA D/W/ TARA CHAND HOUSE NO C-5/31A, GALI NO 5, C BLOCK KABIR NAGAR, BABARPUR SHAHDARA DELHI

C 553 DHRUVPAD GALI CHHAJUPUR SHAHDARA DELHI 110032

case for recovery of Rs. 1,23,11,573 Rupees ONE CRORE TWENTY-THREE LAKH ELEVEN THOUSAND FIVE HUNDRED AND SEVENTY-THREE ONLY) against you and whereas it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in ordinary way. Therefore, this notice is give before Ld. Registrar on 15.09.2025 at 10:30 A.M. IST (for further details kindly visit DRT website www.tribunal.gov.in Phone Number: 011-23748473) Take notice that in case of your failure to appear on the above-mentioned day before this Tribunal, the case will be heard and decided in your absence. All the matters will be taken up through Video Conferencing and for that purpose:-

(I) All the Advocates/Litigants shall download the "Cisco Webex" application/Software

(ii) "Meeting ID" and "Password" for the next date of hearing qua cases to be taken by Registrar / Recovery Officer-1/ and Recovery Officer-II shall be available one day prior to the next date at DRT Official Portal i.e "https://drt.gov.in" under the Public Notice Head. (iii) In any exigency qua that, the Advocates/Litigants can contact the concerned official at Ph. No. 011-23748473

Given under my hand and seal of the Tribunal on this 2nd May, 2025 By order of this Tribunal

टीआरसी 143/2022

से संपर्क करें।

दिल्ली की राजस्व संपदा में स्थित है।

तथा मोबाइल नंबर आदि, "टीआरसी नं. 143 / 2022" लिखा होना चाहिए।

4. संपत्ति **"जहाँ है जैसी है तथा जो है जैसी है"** आधार पर बेची जा रही है।

जाती है. तो समापन समय स्वतः ही 5 मिनट के लिए बढ जाएगा।

के भीतर वहा पहुँच जाए, ऐसा न करने पर ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

अगली सुनवाई की तिथि से पहले प्रस्तुत किए जाएं।

बेची जाने वाली संपत्ति का विवरण

आरजेड–69 / 220, "जे" ब्लॉक, खसरा संख्या 220 में से 105 वर्ग

गज माप की भूमि, जो ग्राम नसीरपुर, पश्चिमी सागरपुर, नई दिल्ली

की राजस्व संपदा में स्थित है।

जनसत्ता

क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

चंद अग्रवाल, जन्म 27/07/1975, निवासीः बी-7/4, प्रथम तल, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051, ने शपथ पत्र दिनांक 19/08/2025, दिल्ली के आधार पर अपना नाम अशोक अग्रवाल कर लिया है।

मैं, अशोक कुमार अग्रवाल, पिता काहन

PUBLIC NOTICE

Janhu Ram and Smt. Prem Lata Soni W/o Shr Rambhai Soni both R/o House No. 1119/A. Sadl Nagar, Palam Colony, New Delhi-110045 hav severed all their connections, links with their so Sushil Kumar Soni, his wife Manju Soni an heir children Chetan Soni & Chetna Soni they are not obedient, acting adverse to the intere my clients and their family members a arther insulted, neglected, misbehaved, defamed debarred/disowned them from all their movable nyone dealing with them will himself/herself b

JAI DEV SOLANKI (Advoca Ch. No. 847, Lawyer's Chamber Bloc Dwarka Court Complex, Sector-10 Dwarka, New Delhi-110075

सार्वजनिक सूचना र्षसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे वक्किल श्रीमति संतोष पत्नी श्री स्व. अम सिंह निवास, K-27/A सेकंड पलोर, खसरा न 67/22, गांव, पूठ कला, कृष्म विहार, दिल्ली 110086, व H न. 631, T-म्लॉक, मंगोल पूरी दिल्ली 110083 ने अपने पुत्र दीपक उंप्र अक्कू व उसकी पत्नी अंजर्लि कुमारी सहिस को उनके गलत आचरण, दुर्धवहार के कारण अपने सभी सम्बन्ध विष्केद कर अपनी समर चल-अचल सम्पत्तिर से बेदखल कर दिया है भविष्य में दीएक एर्फ अक्कू व एसकी पर अंजलि कुमारी सहिस से सम्बद्धित किसी में लेन देन व कानूनी कार्यवाही की मेरे मुवनिकल व उसके परिवार के किसी भी सदस्य की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

VIPUL SHARMA (Advocate) CH. NO. 119, Western Wing. Tis Hazari Courts, Delhi -110054

PUBLIC NOTICE Information is given to the general public at large that my clients Mr. Sachin Tyagi, Mr. Pankaj Tyagi & Mrs. Anita Tyagi who are the Plot No.5, area measuring 330.5 sq. yds., situated at New Arya Nagar, Ghaziahad, U.P-201001 who inherited the said property through Mutation Letter dated 17.06.2025 issued by World Council Arya Samus after the device of Counsil of Arya Samaj after the demise of Mrs. Parvati Devi and Mr. Satya Prakash Tyagi who were the owners Perpetual Lease dated 12.12.1968 executed by Sarvadeshik Arya Pratinidhi Samaj vide Doc No. 8127/8128. Now. my clients intend to sell the said property. Any person(s), institution having any claim and lor objection in respect of the said property shall communicate the same to the undersigned at our address within 10 days from the publication of this notice with documentary evidence in support thereof, failing which all the claim, of such person and institution shall not be binding apon the said property or purchaser. Mobel K. Hussain (Advocate 2134, Ground Floor, Jangpura Extension or Kashmin Park, N.D. 14, 8810391672

(T) IDBI BANK

आई.डी.बी.आई बैंक लिमिटेड नोएडा सेक्टर 18 शाखा, उत्तर प्रदेश

स्वर्ण आभूषणों की नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना ऋणी(ओं) द्वारा बैंक को देय राशि की वसूली के उद्देश्य से, बैंक के पक्ष में गिरवी रखे गए स्वर्ण आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी हेतू प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है। यह नीलामी 29.08.2025 को दोपहर 12:00 बजे से सेक्टर 18, नोएडा स्थित बैंक परिसर में आयोजित की जाएगी।

1. 01096711- मेसर्स अश्वनी वर्क्स (प्रो. र ई-40, से नोएडा, उ	ग रि पता	सोने के आभूषणों का विवरण	सकल वजन	रु. में	मूल्य रुपये में
	उमेश सिंह) नेक्टर—9, त्तर प्रदेश	4 चूड़ियाँ, 2 चेन, 5 अंगूठी, 2 बालियाँ, 1 लॉकेट, 2 हार	129.40	42,063.00	8,41,253.00

नीलामी बैंक द्वारा निर्धारित बिक्री के नियमों और शतों के अधीन होंगी, जिसकी एक प्रति 22.08.2025 से 28.08.2025 तक आईडीबीआई बैंक नोएडा सेक्टर 18 शाखा, दिल्ली के नोटिस बोर्ड में प्रदर्शित की जाएगी और इच्छुक पक्ष इसे संदर्भित कर सकते हैं। नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाता को बिक्री के पूर्वोक्त नियमों और शर्तों की पूरी जानकारी होना समझा जाएगा। बोली जमा करने की अंतिम तिथि

ऋणी को गिरवी रखे गए स्वर्ण आभूषणों को छुड़ाने के लिए 7 दिनों का नोटिस / समय दिया जाता है और यदि ऋणी नीलामी आयोजित होने से पहले लागू ब्याज और शुल्कों सहित बकाया राशि का पूरा भूगतान कर देता है, तो नीलामी रद्द कर दी जाएगी और गिरवी रखे गए आभूषण वापस कर दिए

स्थानः सेक्टर 18 नोएडा दिनांकः 19.05.2025

प्राधिकृत अधिकारीः आई.डी.बी.आई. बैंक, सेक्टर 18 शाखा

SHRIRAM

श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग्स लिमिटेड CIN: L29112DL1963PLC004084

पंजीकृत कार्यालय: तीसरी मंजिल, हिमालया हाऊस, 23, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110 001, फोन : +91 11 2331 5941

E-mail: compliance.officer@shrirampistons.com, Website: www.shrirampistons.com शेयरधारकों को सूचना

(क) भौतिक शेयरों के अंतरण अनुरोधों के पुन:-प्रस्तुतीकरण हेतु विशेष विंडो

सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 दिनांक 2 जुलाई, 2025 के अनुपालन में, 7 जुलाई, 2025 से 6 जनवरी, 2026 तक एक विशेष विंडो खोली गई है, केवल उन डीड्स के पुन:—प्रस्तुतीकरण (re-lodgement) के लिए, जिन्हें मूल रूप से 1 अप्रैल, 2019 की अंतिम तिथि से पहले प्रस्तृत किए गये थे, लेकिन दस्तावेजों / प्रक्रिया में कमी के कारण अस्वीकृत / वापस कर दिए गए, अनदेखे रह गए अथवा 31 मार्च, 2021 की विस्तारित समय-सीमा तक प्रतिभृतियों के अंतरण हेत् अपने दस्तावेजों को पूनः प्रस्तुत नहीं

पात्र शेयरधारक, जिन्होंने प्रतिभृतियों के अंतरण हेत अपने दस्तावेजों को पुनः प्रस्तुतीकरण की उपर्यक्त समय सीमा को चुक दिया है, उनसे अनुरोध है कि वे इस अवधि के भीतर आगे की सहायता हेतु कंपनी के कार्यालय तीसरी मंजिल, हिमालया हाऊस, 23, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली —110 001, ईमेल आईडी : compliance.officer@shrirampistons.com या कंपनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, 202—208, अनारकली कॉम्पलेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली—110 055, फोन : 011—42541234 ईमेल आईडी : info@alankit.com इस विंडो अवधि में आगे की सहायता हेतु संपर्क करें।

नोट : इस अवधि में पुनः प्रस्तुत किए गए शेयरों का हस्तांतरण केवल डीमैट मोड में किया जाएगा। कृपया सुनिक्षित करें कि आपके पास सक्रिय डीमैट खाता हो। कृपया स्थानांतरण दसतावेजों के साथ अपना क्लाइंट मास्टर लिस्ट (सीएमएल) भी प्रदान करें।

(ख) केवाईसी (KYC) एवं अन्य संबंधित विवरणों के अपडेशन हेतु विशेष अभियान, ताकि अप्राप्त⁄ अदावा किए गए लाभांश का अंतरण आईईपीएफ में होने से रोका जा सके 100 दिनों का अभियान- "सक्षम निवेशक"

शेयरधारकों को यह सचित किया जाता है कि निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (IEPFA) ने अपने पत्र दिनांक 16 जुलाई, 2025 के माध्यम से कंपनियों से अनुरोध किया है कि **"सक्षम निवेशक"** शीर्षक से एक 100—दिवसीय अभियान 28 जुलाई, 2025 से 6 नवम्बर, 2025 तक चलाएँ, जो अवितरित लाभांश वाले शेयरधारकों को लक्षित करता है। इसके अनपालन में, कंपनी यह विशेष अभियान चला रही है ताकि शेयरधारकों को उनकी केवाईसी विवरणों के अद्यतन के उपरान्त कंपनी के अवितरित लाभांश खाते से अपना अवितरित लाभांश प्राप्त करने में सहायता की जा सके।

इस अभियान के दौरान, ऐसे सभी शेयरधारक जिन्होंने अपना लागांश दावा नहीं किया है या जिन्होंने अपनी केवाईसी एवं नामांकन विवरण अपडेट नहीं किए हैं या अप्राप्त लाभांश और शेयरों से संबंधित किसी भी समस्या का सामना कर रहे है वे कंपनी के आरटीए अर्थात अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, ईमेल आईडी : <u>info@alankit.com</u> या उनके कार्यालय 202—208, अनारकली कॉम्पलेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली—110 055 पर संपर्क कर सकते हैं।

यह भी सूचित किया जाता है कि यह अभियान विशेष रूप से और सक्रिय रूप से शुरू किया गया है ताकि शेयरधारकों से संपर्क कर उन्हें अपना केवाईसी (KYC), बैंक जनादेश, नामांकित व्यक्ति एवं संपर्क विवरण आदि अद्यतन करने और अपना अप्राप्त / अदावा लाभांश प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, जिससे उनके शेयर और लाभांश की राशि निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष प्राधिकरण में स्थांनांतरित होने से रोकी जा सके। कृते श्रीराम पिस्टन्स एण्ड रिंग्स लिमिटेड

(हस्ता. / – स्थान : नई दिल्ली (पंकज गुप्ता) दिनांक : अगस्त 21, 2025 कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी, सदस्य सं.:F-4647

पंजाब एंड सिंध बैंक

आरजेड—69 / 220, "जे" ब्लॉक, खसरा संख्या 220 में से 105 वर्ग रु. 76,40,000 / — (रुपये छिहत्तर

नीलामी बिक्री वेबसाइट पोर्टल : https://bankeauctions.com के द्वारा "ई-नीलामी के माध्यम से ऑनलाइन" होगी।

गज माप की भूमि, जो ग्राम नसीरपुर, पश्चिमी सागरपुर, नई लाख चालीस हजार मात्र)

वसूली अधिकारी-॥ का कार्यालय,

ऋण वसूली न्यायाधिकरण-।।, दिल्ली

चतुर्थ तल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली : 110001

मि. रमजान अंसारी

रु. 7,64,000 / −

(रुपये सात लाख चौंसठ हजार मात्र)

आरक्षित मूल्य

विरुद्ध

मेरे दिनांक 31.07.2025 के आदेशानुसार, उक्त वसूली प्रमाण पत्र के अंतर्गत निम्नलिखित संपत्ति 25.09.2025 को सार्वजनिक ई—नीलामी द्वारा बेची जाएगी

नीलामी बिक्री वेबसाइट https://bankeauctions.com के माध्यम से "ऑनलाइन ई-नीलामी" होगी। नीलामी की तिथि तथा समय : 25.09.2025 को मध्या. 11:00 से दोपहर 12:00 बजे के मध्य

(यदि आवश्यक हुआ, तो दोपहर 12:00 बजे के बाद 5 मिनट के विस्तार के साथ)

संपत्ति का विवरण

नियम तथा रार्तै

2. ईएमडी का भुगतान या तो "वसूली अधिकारी-।, डीआरटी-।।, दिल्ली- खाता टी.आर.सी. नं. 143/2022" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के

माध्यम से अथवा एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से निम्नलिखित खाता में किया जाएगा। ईएमटी के रूप में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर या

एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान का मूल प्रमाण, पहचान पत्र (मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट) की स्व-सत्यापित

प्रति, जिसमें भविष्य में पत्राचार के लिए पता शामिल हो, तथा पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति, वसूली अधिकारी–।, डीआरटी–।।, दिल्ली के कार्यालय

में 23.09.2025 को सायं 5.00 बजे तक अथवा इससे पूर्व पहुँच जानी चाहिए। उसके बाद प्राप्त ईएमडी या ईएमडी के मूल प्रमाण पर विचार नहीं

3. ईएमडी या एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से ईएमडी भूगतान के मूल प्रमाण वाले लिफाफे पर, प्रेषक का विवरण, जैसे पता, ई–मेल आईडी

5. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोलियाँ जमा करने तथा ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने से पहले ई-नीलामी बिक्री के

विस्तृत नियमों तथा शर्तों के लिए पोर्टल https://www.bankeauction.com देखें तथा / या श्री पृथ्वी राज, सहायक महाप्रबंधक, मोबाइल नंबर

8094333353 तथा श्री प्रणोय कुमार घोष, मुख्य प्रबंधक, मोबाइल नं. 9015285882, कार्यालय नं. 011—25789590, ईमेल आईडी d0707@psb.co.in

6. संभावित बोलीदाताओं को पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा तथा लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड पहले ही प्राप्त कर लेना होगा, जो कि मैसर्स

सी—1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट संख्या 301, प्रथम तल, उद्योग विहार **फेज— ।।, गुड़गांव (हरियाणा) संपर्क सूत्र**

ई—नीलामी में बोली लगाने के लिए प्राप्त करना अनिवार्य है। इस हेतु संपर्क व्यक्ति : श्री मिथलेश, संपर्क सूत्र :– 7080804466

भगतान या एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से भगतान है, वे ही ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने के पात्र होंगे।

9. बोलीदाताओं को संपत्ति के संबंध में रु. 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) के गुणकों में अपने प्रस्ताव में सुधार करना होगा

या उस राशि के किसी भी हिस्से पर अपने सभी दावों को खो देगा जिसके लिए इसे बाद में बेचा जा सकता है।

आय का भुगतान करते समय इस मंच के समक्ष उक्त राशि जमा करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

+91-124-4302020/22/22/23/24, +91-7210044289, +91-2582385066, ई-मेल : support@bankeauctions.com से उपरोक्त

केवल वे बोलीदाता जिनके पास वैध यूजर आईडी तथा पासवर्ड है तथा जो भुगतान की पुष्टि कर चुके हैं या जिनके पास डिमांड ड्राफ्ट/केवल

8. इच्छुक बोलीदाता, जिन्होंने 23.09.2025 तक न्यूनतम आरक्षित मूल्य के बराबर की अपनी बोलियां जमा की हैं, वे 25.09.2025 को मध्या. 11:00 से

12. सफल / उच्चतम बोलीदाता, बिक्री आय का शेष 75%, वसूली अधिकारी, डीआरटी—।।, दिल्ली, खाता टीआरसी नं. 143 / 2022 के पक्ष में, डिमांड

ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से, वसूली अधिकारी, डीआरटी—।।, दिल्ली के समक्ष संपत्ति की नीलामी की तिथि से 15वें दिन या उससे पहले जमा

करेगा, (उस दिन को छोड़कर), या यदि 15वें दिन रविवार या अन्य अवकाश हो, तो 15वें दिन के बाद पहले कार्यालय दिवस पर, 1,000 रुपये

तक 2: की दर से पाउंडेज शुल्क तथा 1000 रुपये से अधिक की सकल राशि पर 1% की दर से, रजिस्ट्रार, डीआरटी–।।, दिल्ली के पक्ष में जमा

करेगा। (शेष 75% राशि डाक के माध्यम से जमा करने की स्थिति में, वह उपरोक्तानुसार वसूली अधिकारी के पास पहुँच जानी चाहिए)। निर्धारित

अवधि के भीतर भूगतान में चूक होने की स्थिति में, बिक्री की नई घोषणा जारी होने के बाद संपत्ति को पुनः बेचा जाएगा। बिक्री के खर्चों का

भुगतान करने के बाद, यदि अधोहस्ताक्षरकर्ता उचित समझें, तो संपत्ति सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाला क्रेता संपत्ति

कर अधिनियम की धारा 194–एलए के प्रावधानों का पालन करने की स्वतंत्रता होगी। ऐसी स्थिति में, सफल/उच्चतम बोलीदाता को शेष बिक्री

का भुगतान करने के बाद, यदि अधोहस्ताक्षरकर्ता उचित समझें, तो जमा राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता

के प्रकट भाग पर चिपकाकर तथा उसके आसपास ढोल बजाकर तामील करे तथा उसकी एक प्रति न्यायाधिकरण के सूचना–पट पर लगाई जाए।

13. सफल / उच्चतम बोलीदाता को इस मंच के समक्ष जमा की जाने वाली प्रस्तावित नीलामी राशि पर लागू टीडीएस का भुगतान करने के लिए आय

14. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक होने की स्थिति में, बिक्री की नई घोषणा जारी होने के बाद संपत्ति को पुनः बेचा जाएगा। बिक्री के खर्चों

15. सीएचएफआई / सीएच बैंक को निर्देश दिया जाता है कि वह बिक्री की घोषणा को सीडी पर दस्ती, स्पीड पोस्ट, कूरियर के माध्यम से तथा संपत्ति

16. बिक्री की घोषणा अंग्रेजी के साथ—साथ ऐसी स्थानीय भाषा के समाचारपत्र में भी प्रकाशित की जाए, जिसका क्षेत्र में पर्याप्त व्यापक प्रसार हो।

17. सीएचएफआई / सीएच बैंक को निर्देश दिया जाता है कि वह समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन की पुष्टि करे तथा प्रकाशन के मूल प्रमाण

18. अधोहस्ताक्षरकर्ता किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, यदि वे स्वीकार्य न हों,

संपत्ति की अनुसूची

संपत्ति या उसके

किसी भाग पर

निर्धारित राजस्व

अज्ञात

के संपत्तियों या उस राशि के किसी भी हिस्से से संबंधित सभी दावे जब्त हो जायेंगे जिसके लिए इसे बाद में बेचा जा सकता है।

या किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नीलामी स्थगित कर सकते हैं तथा इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा।

दोपहर 12.00 बजे तक आयोजित होनेवाली ई-नीलामी में भाग लेने के पात्र होंगे। यदि नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में बोली रखी

ऐक्सिस बैंक लि0 कब्जे की नोटिस

रिटेल एसेट्स सेन्टरः प्रथम तल, जी–4/5 बी सेक्टर–4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ उ०प्र0–226010 रजिस्टर्ड ऑफिसः **''त्रिशूल''**—तृतीय तल, समर्थेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद—380006

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, **ऐक्सिस बैंक लि0** के प्राधिकारी, ने सिक्योरिटाइजशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) रूल्स, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किये गये। निम्न वर्णित उधारकर्ता राशि का भूगतान करने में असफल रहे है, अतः निम्न वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सांकेतिक कब्जा ले लिया है। निम्न वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि निम्न सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा निम्न सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई भी सौदा नीचे वर्णित बकाया राशि पर अतिरिक्त ब्याज, आकिस्मक व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि सहित एक्सिस बैंक लि. के बंधक के विषयाधीन होगा। ऋणी/सह-ऋणी/बंधककर्ता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

खातेदार(रो)ं / गारन्टर(रों) के नाम एवं पता	बंधक / प्रभारित सम्पत्ति(यों) का विवरण	मांग सूचना नोटिस की ति	सांकेतिक कब तिथि	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि	
पुत्र श्री राम खिलौने उदैनिया, पता—1. मु—हम्मालन, समथर (देहात), झाँसी, उत्तर प्रदेश—284304, पता—2. (बंधक सम्पत्ति का पता) मकान नं. 2751 ए, आराजी नं. 414 का भाग, मौजा—पिछोर गुमनवारा झाँसी, उत्तर प्रदेश—284128, पता—3. मै० राम खिलौने उदैनिया 1190/2,		07.05.2025	17	रू० 29,68,609/- दि. 07.05.2025 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चे	
मु-हिम्मालन, मोहल्ला-समथर (देहात), झाँसी उत्तर प्रदेश-284304, 2. श्रीमती राधिका उदैनिया (सह-आवदेक) पत्नी श्री					

प्रदीप कुमार उदैनिया, पता-मु-हम्मालन, समधर (देहात), झाँसी, उत्तर प्रदेश-284304 प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लि0 दिनांकः 22.08.2025

CAPITAL INDIA

कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड

कॉपरिट पहचान संख्या (CIN): L74899DL1994PLC128577 **पंजीकृत कार्यालय:** 701, 7वीं मंजिल, अग्रवाल कॉर्पोरेट टॉवर, प्लॉट नंबर 23, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली - 110008, **फोन नंबर**: 011-69146000 **कॉर्पोरेट कार्यालय:** लेवल - 20, बिरला अरोरा, डॉ. एनी बेसेंट रोड, वर्ली, मुंबई - 400030 (महाराष्ट्र), फ़्रोन नंबर: 022-45036000 वेबसाइट: www.capitalindia.com, ईमेल: secretarial@capitalindia.com

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों से आयोजित होने वाली 31व वार्षिक आम बैठक के संबंध में जानकारी

्एतद्वारा सुचित किया जाता है कि कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड ("**कंपनी**") के सदस्यों की 31⁸ वार्षिक आम बैठक ("**एजीएम**") 31^व एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों को लेन-देन करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअत माध्यमों ("वीसी/ओएवीएम") के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और कॉपोरिट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध देयताओं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("**सूचीबद्ध विनियम**") के साथ पठित के अनुपालन में और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ("से**बी**") द्वारा लागू परिपन्नों के अनुपालन में गुरुवार, 25 सितंबर, 2025 प्रातः 11:00 बजे (IST) आयोजित की जाएगी। सदस्य कॉमन स्थान पर अपनी भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीए में उपस्थित व भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम से जुड़ने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम को पूरा करने के लिए की जाएगी।

परिपत्रों के अनुपालन में और अधिनियम की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण के साथ एजीएम बुलाने की सुचना और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां, उन सभी सदस्यों को ई-मेल द्वार निर्धारित समय सीमा के भीतर भेजी जाएंगी जिन सदस्यों की ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी (प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.capitalindia.com पर स्टोंक एक्सचेंज की वेबसाइट जहां कंपनी के इकिटी शेयर सूचीबद्ध हैं, यानी बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड <u>www.nseindia.com</u> पर और कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("आरटीए"/"केफिनटेक") की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com,

लाग नियामक प्रावधानों के संदर्भ में, कंपनी ने अपने सदस्यों को वीसी/ओएवीएम सविधा के माध्यम से एजीएम मे भाग लेने के लिए एजीएम ("**रिमोट ई-बोटिंग**") के स्थान के अलावा अन्य स्थान से इलैक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम का प्रयोग कर अपने वोट डालने और एजीएम ("**ई-वोटिंग**") के दौरान अपने वोट इलैक्ट्रानिक रूप से डालने की सुविधा दी है और इसके लिए KFintech की सेवाओं को लिया है।

लेने के तरीके एजीएम के नोटिस में उपलब्ध कराए जाएंगे। विवरण कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को सूचित किया जाता है कि लागू एमसीए परिपत्र(ओं) के अनुसार, भौतिक शेयरों के सभी धारक अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट कर सकते हैं और ईमेल आईडी सहित अपने संपर्क विवरण पंजीकत कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आवश्यक फॉर्म ISR-1 को सहायक दस्तावेजों के साथ Krintech के पास जमा करना

फॉर्म ISR-1 निम्नलिखित लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है: https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/#isc_download_hrd

डीमैटीरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपने बैंक खाते के विवरण और ई-मेल आईडी सहित संपर्क विवरण को पंजीकृत/अद्यतन करें।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे लाभांश को सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त करने के लिए, शुक्रवार, 19 सितंबर, 2025 को या उससे पहले, ऊपर बताए गए तरीके से अपने पूर्ण बैंक विवरण को पंजीकृत/अद्यतित करें, जो कि लाभांश के भुगतान के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए "रिकॉर्ड तिथि" है।

यह नोटिस एमसीए और सेबी के लागू परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी किया जा रहा है।

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 21 अगस्त, 2025

दिनांक : 31-07-2025

सीआईएन: L51909DL1983PLC016907 पंजीकृत कार्यालयः जी-4बी-1, एक्सटेंशन मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट,

ईमेलः compliance@blsinternational.net वेबसाइटः blsinternational.com 41वीं वार्षिक आम बैठक और रिमोट ई-वोटिंग की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि: बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 41वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') मंगलवार, 16 सितंबर, 2025 को दोपहर 03:00 बजे (भारतीय समयानुसार) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विज्ञाल साधनों ("वीसी / ओएवीएम") की सुविधा के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार 41वीं एजीएम की सूचना और कॉर्पोरेट मंत्रालय और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न परिपत्रों के अनुरूप व्यवसाय संचालित करने के लिए आयोजित की जाएगी। सभी सदस्यों को एतदृद्वारा सुचित किया जाता है

 उन सभी सदस्यों को 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 41वीं एजीएम की सूचना और एजीएम में रिमोट ई-बोटिंग और ई-बोटिंग विवरण के साथ वार्षिक रिपोर्ट गुरुवार, 21 अगस्त, 2025 को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेज दी गई है, जिनके ई-मेल 08 अगस्त, 2025 तक आरटीए और डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हो चुके हैं। वे शेयरधारक सदस्य जिनके ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं, जन शेयरवारकों को एजीएम की सूचना और वितीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट देखने के लिए गुरुवार, 21 अगस्त, 2025 को डाक के माध्यम से वेबलिक और क्युआर कोड प्रेषित कर दिए गए हैं।

एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.blsinternational.com, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड <u>www.bseindia.com</u> और www.nseindia.com और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज और (इंडिया) लिमिटेड की

कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 91 के सहपठित सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 42 के अनुरूप, हम आपको एतदद्वारा सुचित करते हैं कि कंपनी की एजीएम के प्रयोजन के लिए कंपनी के सदस्यों को रिकॉर्ड पर लेने हेतु कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर होंगे) तक निष्क्रिय कर दिये जाएंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और उसके सहपंत्रित निर्मित नियमों के अनुरूप कंपनी को यह घोषित करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है कि वह अपने उन सभी सदस्यों को जिनके पास भौतिक रूप में या डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर रखे हैं, उन सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रहीं है ताकि 41वीं एजीएम की सूचना में

निर्दिष्ट किए अनुसार वे योट डाल सकें। इलेक्टॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की ई-वोटिंग के प्रयोजन के लिए कट-ऑफ तिथि मंगलवार, 09 सितंबर, 2025 है। रिमोट ई--वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 12 सितंबर 2025 प्रात: 09:00 बजे से शुरू होकर सोमवार, 15 सितंबर, 2025 को सांयः 05:00 बजे समाप्त हो जाएगी। उसके बाद सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल अक्षम कर दिया जाएगा। एक बार जब सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर वोट डाल दिया जाता है, तब सदस्यों को बाद में इसे बदलने की

यदि किसी मामले में, कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना भेजने के बाद लेकिन कट-ऑफ तिथि यानी मंगलवार 09 सितंबर 2025 को या उससे पहले कंपनी का सदस्य बन जाता है, तो ईमेल के माध्यम से लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अपना अनुरोध मेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि कथित सदस्य पहले से ही सीडीएसएल रिमोट ई-बोटिंग प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत है, तो वह रिमोट ई-वोटिंग के मध्यम से वोट डालने के लिए मीजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।

ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया हैं, उनके लिए रिमोट ई-वोटिंग का तरीका एजीएम की सचना में प्रदान किया गया है।

 सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे एजीएम में शामिल होने के लिए रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम से वोट डालने के तरीके, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग और वीसी/ओवीएएम के

प्रश्न ("एकएक्य्") और सहायता अनुभाग के तहत www.evotingindia.com पर उपलब्ध ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतों का उल्लेख श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन पयूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ईस्ट), मुंबई – 400013 या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल पर भेज दें या टॉल फ्री नंबर 1800 21 09911 पर कॉल करें।

> हस्ता./-धारक मेहता

प्रपन्न नं. 14 [विनियम -33(2) देखें. वसूली अधिकारी का कार्यालय-1/11

ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी-2) 4थी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

डिमांड नोटिस ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 और आयकर अधिनियम,

1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के तहत नोटिस।

आरसी / 80 / 2024 19.08.2025 पंजाब नेशनल बैंक (ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स)

बालाजी ट्रेडर्स

(सीडी1) बालाजी ट्रेडर्स शॉप नं. 6 आस्था अपार्टमेंट मुख्य जीटी रोड शाइबाबाद, गाजियाबाद आगरा, उत्तर प्रदेश-201005

(सीडी2) श्री जय करण सिंह एस-704 / 20ए, वृन्दावन हाइट्स, वृन्दावन गार्डन, साहिबाबाद, गाजियाबाद-201005 (यूपी) गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-110067

यह स्चित किया जाता है कि पीठासीन अधिकारी, ऋण वस्ती न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी २) टीए / 361 / 2022 द्वारा पारित आदेशों के अनुसरण में जारी किए गए वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार, रुपये 3828828 (रूपये अड़तीस लाख अठाईस हजार आठ सौ अठाईस मात्र) की राशि, बकाया राशि और भविष्य में 10% की दर से ब्याज सहित 29.10.2022 से क्सुली तक और 41000.00 (रूपये इक्तालीस हजार मात्र) रुपये की लागत आपके विरुद्ध देय हो गई है (संयुक्त रूप से और अलग—अलग / पूरी तरह से / सीमित रूप से)।

2. इस नोटिस के माध्यम से आपको प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भूगतान करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 और उसके अधीन नियमों के अनुसार वसूली की जाएगी 3. आपको सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले एक हलफनामें पर अपनी आस्तियों

का विवरण घोषित करने का आदेश दिया जाता है। आपको आदेश दिया जाता है कि दिनांक 07.10.2025 को प्रातः 10:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के

समक्ष आगे की कार्यवाही हेत् उपस्थित हों। उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आप निम्न का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे:

(क) इस तरह के ब्याज के रूप में प्रमाण पत्र / निष्पादन कार्यवाही की इस सुचना के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय है।

(ख) इस नोटिस और वारट और अन्य प्रक्रियाओं और देय राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी प्रक्रियाओं की तामील के संबंध में किए गए सभी लागत, शुल्क और व्यय।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत दिनांक 19.08.2025 को दिया गया। वसूली अधिकारी

ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी-2)



पंजी. कार्या: मेस्को टावर्स, एच-1, जमरुदपुर, कम्युनिटी सेंटर, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110 048 टेली. नं.: 011-29241099, 41587085, 40587083, वेबसाइट: www.mescosteel.com

32वीं एजीएम की सचना जिसमें बैठक में किए जाने वाले कार्य और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, साथ ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए निर्देश शामिल हैं, की इलेक्ट्रॉनिक प्रति, उन सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। जिन लोगों ने अपने ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं कराए हैं, वे वार्षिक रिपोर्ट 2025 की प्रति कंपनी की वेबसाइट यानी www.mescosteel.com,

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 91 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार, 32वीं एजीएम के उद्देश्य से कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें शुक्रवार, 12 सितंबर, 2025 से

स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी www.bseindia.com और एनएसडीएल की वेबसाइट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसार, जिसमें कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 और सेबी (सचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपने सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाओं को शामिल किया है।

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सोमवार, 15 सितंबर, 2025 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी और बुधवार, 17 सितंबर, 2025 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमृत नहीं दी जाएगी। केवल वही व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग/बैठक में मतदान की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, जिनका नाम कट-ऑफ

कर सकते हैं। यदि आप ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, तो आप अपना वोट डालने के लिए अपनी मौजूदा लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

लेकिन उन्हें फिर से वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। किसी भी प्रश्न के लिए, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) और ई-वोटिंग

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश से मिडईस्ट इंटीग्रेटेड स्टील्स लिमिटेड के लिए

शिप्रा सिंह राण

डीआईएन: 00137209

स्थानः नई दिल्ली

सुलभ कोशल



हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉपेंटिशन लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालयः इडको भवन, कोर-7ए, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, दूरमाष: 011-24649610-21

एतद्वारा सचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 55" वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) दिनांक 15 सितंबर, 2025, सोमवार को 11:30 पूर्वोह्न (आईएसटी) पर वीडियो कॉन्क्रेंसिंग (वीसी) / अन्य दश्य-श्रव्य माध्यमां (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी, ताकि नोटिस में निर्घारित अनुसार व्यवसाय का संचालन किया जा सके।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 19 सितंबर 2024 के परिपत्र के साथ पठित 5 मई 2020 के परिपत्र और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के 3 अक्टूबर, 2024 के परिपत्र के तहत कंपनियों को कॉमन स्थल पर सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना वीसी या ओएवीएम के माध्यम से अपनी एजीएम बुलाने की अनुमति दी गई और शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट की दस्तावेजी प्रतियां

भेजने की आवश्यकता भी समाप्त कर दी गई है। कंपनी की 55 वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) की सुचना और वित्तीय वर्ष 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट, सेंबी के परिपन्नों के अनुपालन में, उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मेजी जा रही है जिनके ईमेल पते डिपॉजिटरी / रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के पास पंजीकृत है। इसके अतिरिक्त, वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.hudco.org.in, स्टॉक एक्सचेंजों जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, www.nseindia.com और बीएसर्ड लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा नेशनल

क. डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों, जिन्होंने अभी तक अपना ई−मेल पता पंजीकृत / अपडेट नहीं किया है, से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास, जहां वे डीमैंट खाले रखते हैं, अपना ई-मेल पता पंजीकृत / अपडेट कर लें।

पंजीकृत / अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे विधिवत भरे और हस्ताक्षरित फॉर्म ISR-1 (कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध) को आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ कंपनी के आरटीए को अर्थात, बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 89 मदनगीर, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे, नई दिल्ली — 110062 रिधत उनके कार्यालय में जमा करके पंजीकरण / अपडेट करें।

सदस्य एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक की सुधना में निर्धारित कार्य पर अपना वोट डाल सकते हैं। डीमैट मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनके लिए ई--वोटिंग का तरीका, रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम की तिथि पर वोटिंग, वार्षिक सामान्य बैठक की सुधना में दिया गया है।

लाभांश प्राप्त करने के लिए अधिदेश पंजीकृत करने का तरीकाः

क, यदि शेयर डीमैट रूप में रखे गए हैं, तो उन्हें अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास अपना पूरा बैंक विवरण रखना होगा। ख यदि शेयर दस्तावेजी रूप में हैं तो कंपनी के आरटीए अर्थात बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, के पास विधिवत भरें और हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर-1 (कंपनी की

वेबसाइट पर उपलब्ध) में पैन, केवाईसी (संपर्क विवरण, बैंक विवरण और नमूना हस्ताक्षर) और नामांकन विवरण, अपेक्षित सहायक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करें। सदस्य यह भी ध्यान दें कि 23 जून, 2025 के सेबी मास्टर सर्कुलर के अनुसार, दस्तावेजी रूप में प्रतिभृतियाँ रखने वाले शेयरधारकों के लिए, अन्य बातों के साथ–साथ, पैन, केवाईसी और नामांकन

विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ऐसे फोलियों के संबंध में लाभाश सहित कोई भी मुगतान 1 अप्रैल, 2024 से आवश्यक विवरण दर्ज करने पर ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा। रिकॉर्ड तिथि और लामांश पर टीडीएसः कंपनी ने वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में अनुमोदन मिलने पर, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए

निदेशक मंडल के आदेश से

दिनांक: 21.08.2025 स्थानः नई दिल्ली

CIN: L74899DL1992PLC050216 सूचना

्एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि सामान्य सर्कुलर 2/2022 और 19/2021, एमसीए द्वारा जारी अन्य सर्कुलर और

पेबी के 13 मई, 2022 के सर्कुलर के अनुपालन में कंपनी के सदस्यों की 32वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरुवार, 18 सितंबर, 2025 को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमीं (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी जिसमें 32वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित साधारण और विशेष कार्यों के संचालन किया जायेगा। एजीएम के लिए निर्धारित स्थान कंपनी का पंजीकत कार्यालय होगा।

www.evoting.nsdl.com से प्राप्त कर सकते हैं। गुरुवार, 18 सितंबर, 2025 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगी।

आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 द्वारा किए गए संशोधन शामिल हैं, कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्टॉनिक माध्यमों ("रिमोट **ई-वोटिंग**") के माध्यम से मतदान करने का अधिकार प्रदान कर रही है। कंपनी ने

तिथि. यानी 12 सितंबर. 2025 को सदस्यों/लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है। जो व्यक्ति बैठक की सचना भेजे जाने के बाद कंपनी के सदस्य बनते हैं और कट-ऑफ तिथि को शेयर रखते हैं, वे evoting@nsdl.co.in या admin@skylinerta.com अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त

जो सदस्य बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल चुके हैं, वे बैठक में भाग ले सकते हैं,

उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं, जो www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध हैं या आप टोल-फ्री नं.: 1800-222-990 पर भी कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी महात्रे को evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

दिनांक: 12.08.2025

सीआईएनः L74899DL1970GO1005276, जीएसटी सं. 07AAACH0632A1ZF

ईमेलः cswhudco@hudco.org वेबसाइटः www.hudco.org.in 55[®] वार्षिक सामान्य बैठक

सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर

ई-मेल पता / बैंक खाता पंजीकृत / अद्यतन करने का तरीकाः

ख. दस्तावेजी रूप से शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने अभी तक अपना ई-मेल पता

ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका

वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होनाः सदस्यों से अनुरोध है कि वे ऐजीएम की सूचना में दिए गए वार्षिक सामान्य बैठक में शामिल होने के निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे पंजीकरण / अपडेट करें:

अंतिम लाभांश हेत् सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने हेत् रिकॉर्ड तिथि के रूप में सोमवार दिन, 8 सितंबर, 2025 निर्धारित की है। वित्त अधिनियम, 2020 के अनुपालन में, टीडीएस के संबंध में,

विकास मोयल कंपनी सचिव

रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विस्तृत प्रक्रिया और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग

कृते कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड

बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड

वेबसाइट <u>www.evotingindia.com</u> पर भी उपलब्ध हैं।

जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम अपना बोट ढाल दिया है, वे भी एजीएम में वीसी / ओएवीएम के माध्यम से शामिल हो सकते हैं, लेकिन वे दोबारा वोट डालने

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी आईसीएसआई सदस्यता संख्याः एफसीएस12878

वसूली अधिकारी—।।, डीआरटी—।।, दिल्ली

संपत्ति पर किसी

अन्य ऋणभार का

विवरण

अज्ञात

प्रिय सदस्यों,

ई-वोटिंग की सविधा एजीएम में उन सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं

मुख्य अनुपालन अधिकारी एवं कंपनी सेचिव

मथुरा मार्ग, नई दिल्ली – 110044 फोन नं: 011-45795002

और शेयर ट्रांसफर वुक 10 सितंबर, 2025 से 16 सितंबर, 2025 (दोनों दिन शामिल

माध्यम से एजीएम में भाग लेने से संबंधित निर्देशों को सावधानी से पढ़ लें. जिन्हें एजीएम की यदि ई-वोटिंग के संबंध में आपका कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप अक्सर पूछे जाने वाले

कृते बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड

दिनाकः 21.08.2025

स्थानः नई दिल्ली

10. असफल बोलीदाता ई–नीलामी बिक्री कार्यवाही समाप्त होने पर तुरंत वसूली अधिकारी–।, डीआरटी–।।, दिल्ली / सीएच अर्थात पीएसबी के कार्यालय 11. सफल / उच्चतम बोलीदाता को बोली / बिक्री राशि के 25: का डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर तैयार करके जमा करना होगा, जो कि वसूली अधिकारी–।, डीआरटी–।।, दिल्ली, खाता टी.आर.सी. नं. 143/2022 के पक्ष में होना चाहिए, जिसे ई–नीलामी समाप्ति के 24 घंटे के भीतर तथा ईएमडी समायोजित करने के बाद वसूली अधिकारी, डीआरटी-।।, दिल्ली के कार्यालय में इस प्रकार जमा करें कि यह ई-नीलामी की समाप्ति के 24 घंटे

संपत्ति पर लगाए गए दावे, यदि

कोई हों, तथा उसकी प्रकृति तथा

मूल्य से संबंधित कोई अन्य ज्ञात

अज्ञात

(वात्सल्य कुमार)

डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म, भौतिक मोड में वे शेयर धारक सदस्य और जिन सदस्यों ने अपना

पहले जमा करें।

शुन्य / रियायती कर दर पर छूट का दावा करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आवश्यक दस्तावेज कंपनी के पास dividend.tax@hudco.org पर केवल 10 सितंबर, 2025 तक या उससे

epaper.jansatta.com